पुलिस अधीक्षक जनपद आजमगढ़

सी.यू.जी. –9454400250, दूरभाष- 05462-260403, ई-मेल- spazh-up@nic.in

पत्र संख्या- 240/2024

AZAMGARH POLICE

दिनांक- 02.08.2024

प्रेस-विज्ञप्ति

पुलिस अधीक्षक ने परेड ग्राउंड का किया निरीक्षण; परेड की ली सलामी, दिये गये आवश्यक दिशा-निर्देश।

आज दिनांक- 02.08.2024 को **पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा पुलिस लाईन्स आजमगढ़ में शुक्रवार की परेड का निरीक्षण** किया गया, परेड में पुलिस लाईन्स तथा पुलिस कार्यालय के विभिन्न शाखाओं में नियुक्त आरक्षी, मुख्यआरक्षी, उ0नि0, निरीक्षकों द्वारा भाग लिया गया। परेड में भाग ले रहें डॉग स्क्वाड व ड्रोन कैमरा दल का भी निरीक्षण किया गया। परेड में अपर पुलिस अधीक्षक नगर शैलेन्द्र लाल, क्षेत्राधिकारी नगर गौरव शर्मा, अण्डर ट्रेनिंग सीओ नितीश गर्ग व प्रतिसार निरीक्षक पुलिस लाईन्स उपस्थित रहें।

पुलिस अधीक्षक द्वारा परेड निरीक्षण के पश्चात आरक्षियों का मेस, बैरक, आवासीय परिसर, जीडी कार्यालय, गणना कार्यालय, आरटीसी कार्यालय, सब्सिडी कैंटीन, जनपद नियंत्रण कक्ष, मोटर वाहन शाखा, स्टोर, क्वार्टर गार्द, शस्त्रागार, गैस एजेन्सी अन्य शाखाओं निरीक्षण करते हुए सम्बन्धित को आवश्यक दिशा- निर्देश दिया गया।

यूपी 112 के दो पहिया तथा चार पहिया वाहनों का निरीक्षण किया गया तथा कमियों को दूर करने हेतु प्रभारी यूपी 112 को निर्देशित किया गया, तैनात कर्मियों की कार्य कुशलता व दक्षता की भी जांच की गई। ड्यूटी के दौरान समस्त कर्मचारी बावर्दी दुरुस्त रहकर अपनी ड्यूटी कर्तव्य निष्ठा के साथ जनता से मधुर व्यवहार स्थापित करने हेतु निर्देशित किया गया। साथ ही वाहन में सदैव दंगा नियंत्रण उपकरण रखने, यूपी 112 की गाड़ियों/टैबलेट व अन्य उपकरणों की साफ-सफाई व रख-रखाव के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिए।

प्रेस नोट

वांछित/फरार 05 अभियुक्तों पर 50-50 हजार रूपयें का इनाम घोषित

दिनांक- 31.07.2024 को पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ श्री वैभव कृष्ण द्वारा जनपद आजमगढ़ के थाना सरायमीर, कोतवाली, जहानागंज, दीदारगंज पर हत्या, डकैती, गैंगेस्टर एक्ट के अभियोगों में वांछित/फरार 05 अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु **50-50 हजार रू0 का** पुरस्कार घोषित किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है-

पुरस्कार घोषित किये गये अभियुक्तों का विवरण-

➡ दिनांक 23.08.2023 को वादी मुकदमा प्यारेलाल पुत्र बरसातू निवासी पारा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ द्वारा सी0जे0एम0 आजमगढ़ में प्रा0 पत्र दिया गया था कि वादी के पिता ने अभियुक्तों 1- नइम अहमद पुत्र फरिद अहमद निवासी मो0 असाढ़ा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़, के पिता से जमीन बैनामा कराया था जिसकी जानकारी अभियुक्त 2- असरफ जमा खान पुत्र रुस्तम अली निवासी मुहम्मदपुर फेटी थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ (मुख्तार अंसारी का सहयोगी) को भी थी परन्तु किसी चकबन्दी प्रक्रिया के कारण जमीन दाखिल खारिज नही हो पाया। इसका लाभ उठाकर दोनो अभियुक्तों ने धोखधडी कर दस्तावेजों में नइम अहमद का नाम अंकित करा दिया। जिसके सम्बन्ध में थाना सरायमीर पर मु0अ0सं0- 246/2023 धारा 419, 420 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। थाना प्रभारी सरायमीर की तहरीर पर गैंग बनाकर धोखाधडी करने वाले दोनों अभियुक्तों के विरुद्ध थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 322/2024 धारा 2(ख)(1),3(1) उ0प्र0 गैंगस्टर एक्ट पंजीकृत कर अभियुक्त 1- नइम अहमद पुत्र फरिद अहमद निवासी मो0 असाढ़ा थाना सरायमीर जनपद आजमगढ़ को जेल भेजा गया था। शेष एक अभियुक्त **असरफ जमा खान पुत्र रुस्तम अली निवासी मुहम्मदपुर फेटी थाना बरदह, जनपद आजमगढ़ (मुख्तार अंसारी का सहयोगी)** फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ द्वारा दिनांक- 31.07.2024 को 50 हजार रूपयें का पुरस्कार घोषित किया गया है।

➡ दिनांक 19.02.2024 को वादी मुकदमा सुभाष चन्द्र पाण्डेय पुत्र श्रीनाथ पाण्डेय निवासी हिरापट्टी थाना कोतवाली जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी की पत्नी घर के बाहर झाडू लगा रही थी कि 02 अज्ञात बदमाश पता पूछने के बहाने आये और वादी की पत्नी के कान की बाली और चैन झीनकर ले गये। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 103/2024 धारा 392 भादवि0 पंजीकृत किया गया। तथा दौरान विवेचना प्रकाश में आये अभियक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा अभियुक्त **कपिल रैदास पुत्र बेदप्रकाश निवासी छोटा खानपुर डेराभागीरथ थाना झिंझाना जनपद शामली**

(उ0प्र0) फरार चल रहा था। जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ द्वारा दिनांक- 31.07.2024 को 50 हजार रूपयें का पुरस्कार घोषित किया गया है।

➡ थाना जहानागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 542/2010 धारा 307, 392, भादवि0 में फरार चल रहे अभियुक्त **अशोक यादव पुत्र लालधर यादव निवासी टेउखर थाना सिधारी जनपद आजमगढ़ (प्रदेश स्तर पर चिन्हित माफिया ध्रुव सिंह उर्फ कुंटू सिंह का सहयोगी)** की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ द्वारा दिनांक- 31.07.2024 को 50 हजार रूपयें का पुरस्कार घोषित किया गया है।

➡ थाना जहानागंज पर पंजीकृत मु0अ0सं0- 146/2010 धारा 307, भादवि0 में फरार चल रहे अभियुक्त **केदार चौहान पुत्र सहगू चौहान निवासी पांडरबोझ थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़** की गिरफ्तारी हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ द्वारा दिनांक- 31.07.2024 को 50 हजार रूपयें का पुरस्कार घोषित किया गया है।

➡ दिनांक 11.08.2020 को वादी मुकदमा प्रेमचन्द्र बनरवाल पुत्र जगरनाथ बनरवाल निवासी पल्थी थाना दीदारगंज जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि वादी का पुत्र दिनांक 10.08.2020 से लापता था जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 126/2020 धारा 363 भादवि0 पंजीकृत कर विवेचना प्रारम्भ किया गया। दौरान विवेचना प्रकाश में आया कि 04 अभियुक्तो ने मिलकर वादी के पूत्र की हत्या कर दिया है। पूर्व में अभियुक्तों को गिरफ्तार कर जेल भेजा गया था तथा अभियुक्त **अंकित यादव उर्फ पिन्टू पुत्र रुपचन्द्र यादव निवासी मोल्लापुर प्रतापपुर थाना अखण्डनगर जनपद सुल्तानपुर** फरार चल रहा था जिसकी गिरफ्तारी हेतु पुलिस उप महानिरीक्षक आजमगढ़ परिक्षेत्र आजमगढ़ द्वारा दिनांक- 31.07.2024 को 50 हजार रूपयें का पुरस्कार घोषित किया गया है।

प्रेस-विज्ञप्ति

वांछित/फरार 06 अभियुक्तों पर 25 - 25 हजार रूपयें का इनाम घोषित

दिनांक- 01.08.2024 को पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ हेमराज मीना द्वारा जनपद आजमगढ़ के थाना निजामाबाद, मेंहनगर, तहबरपुर पर हत्या, डकैती, आदी के अभियोगों में वांछित/फरार 06 अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु **25 - 25 हजार रू0 का** पुरस्कार घोषित किया गया। जिनका विवरण निम्नवत है-

इनाम घोषित किये अभियुक्त का विवरण-

➡ दिनांक- 30.07.2024 को वादिनी मुकदमा तारा देवी पत्नी बालमीत यादव निवासी मोहनपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि वादिनी के पति पर अभियुक्त आदर्श यादव उर्फ बिट्टू हन्टर पुत्र अवधेश यादव निवासी मोहनपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ व 04 अन्य ने जानलेवा हमला किया था। जिसके सम्बन्ध में थाना निजामाबाद पर मु0अ0सं0- 367/2024 धारा 109, 115(2), 352, 351(1) बीएनएस पंजीकृत किया गया था। जिसमें फरार चल रहे **अभियुक्त आदर्श यादव उर्फ बिट्टू हन्टर पुत्र अवधेश यादव निवासी मोहनपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा दिनांक- 01.08.2024 को जनपद स्तर पर 25 हजार रूपयें का पुरस्कार** घोषित किया गया है।

➡ दिनांक- 16.02.2021 को वादी मुकदमा फुरकान अहमद पुत्र कलामुद्दीन निवासी खुन्दनपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि पुरानी रंजिश के चलते अभियुक्तो 1- रिजवान उर्फ बब्लू पुत्र अंसारुल हक, 2- कासिम पुत्र अलीशेर, 3- मुस्तफिजुल हसन उर्फ बाबू पुत्र जमालूद्दीन, 4- अब्दुल्लाह पुत्र कय्यूम, 5- मसरुर अहमद पुत्र मकबूल अहमद, 6- अलीशेर अहमद पुत्र मकबूल अहमद समस्त निवासी खुन्दनपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ ने वादी के पिता की गोली मारकर हत्या कर दिये। जिसके सम्बन्ध में थाना मेंहनगर पर मु0अ0सं0- 29/2021 धारा 302, 504, 120B, 34 भादवि0 व 3/25 आर्म्स एक्ट पंजीकृत किया गया था। जिसमें फरार चल रहे **अभियुक्तों 1- मुस्तफिजुल हसन उर्फ बाबू पुत्र जमालूद्दीन निवासी खुन्दनपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़, 2- मसरुर अहमद पुत्र मकबूल अहमद निवासी खुन्दनपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़, 3- अलीशेर अहमद पुत्र मकबूल अहमद निवासी खुन्दनपुर थाना मेंहनगर जनपद आजमगढ़ की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा दिनांक- 01.08.2024 को जनपद स्तर पर 25-25 हजार रूपयें का पुरस्कार** घोषित किया गया है।

➡ थाना तहबरपुर पर पंजिकृत मु0अ0सं0- 208/2024 धारा 363, 366 भादवि0 में फरार चल रहे **अभियुक्त रामू पुत्र इन्द्र कुमार निवासी रैसिंहपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़** की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा दिनांक- 01.08.2024 को 25 हजार रूपयें का पुरस्कार घोषित किया गया है।

➡ दिनांक- 24.05.2018 को वादिनी मुकदमा अनिता राय पत्नी स्व0 रामजी राय निवासिनी बैरमपुर थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़ ने थाना स्थानीय पर लिखित तहरीर दिया कि दिनांक 22.05.2018 को वादिनी बैंक से पैसा निकालकर घर जा रही थी कि

रास्ते में 03 अज्ञात बदमाशों ने वादिनी से 49000/- रुपये तथा 01 सोने की चैन छिनकर भाग गये, जिसके सम्बन्ध में थाना तहबरपुर पर मु0अ0सं0- 51/2018 धारा 392, 411 भादवि0 पंजीकृत किया गया था। दौरान विवेचना अभियुक्तों 1- अमरदीप यादव उर्फ लोला पुत्र सरखू यादव निवासी कल्यानपुर थाना कप्तानगंज जनपद आजमगढ़, 2- रवि यादव पुत्र राजमन यादव निवासी मंझानी थाना तहबरपुर जनपद आजमगढ़, 3- सन्तोष यादव उर्फ बच्ची यादव पुत्र मीरतू यादव निवासी मुस्लिम पट्टी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ का नाम प्रकाश में आया। पूर्व में अभियुक्त 1- अमरदीप यादव उर्फ लोला व 2- रवि यादव को गिरफ्तार कर जेल भेजा जा चूका है। तथा फरार चल रहे **अभियुक्त सन्तोष यादव उर्फ बच्ची यादव पुत्र मीरतू यादव निवासी मुस्लिम पट्टी थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा दिनांक- 01.08.2024 को जनपद स्तर पर 25-25 हजार रूपयें का पुरस्कार** घोषित किया गया है।

थाना जहानागंज
चोरी की 03 विद्युत मोटर के साथ 04 अभियुक्त गिरफ्तार

पूर्व की घटना-

दिनांक 22.07.2024 को वादी मुकदमा सुबाष सिंह पुत्र स्व0 रामलछन सिंह ग्राम सुहवल थाना जहानागंज, जिला आजममगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया था कि दिनांक घटना 22-07-2024 को अज्ञात चोरो द्वारा वादी का विद्युत मोटर (2 HP) तथा राजकुमार सिंह पुत्र स्व0 देवनाथ सिंह ग्राम नवापुरा खालिसा थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ व दीपक सिंह पुत्र स्व0 दुर्गविजय सिंह ग्राम परासी थाना जहानागंज जिला आजमगढ़ के भी खेत से 01-01 विद्युत मोटर (2 HP) किसी अज्ञात व्यक्ति द्वारा चोरी कर लिया गया जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 382/24 धारा 303(2) BNS बनाम अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 ओमप्रकाश यादव द्वारा की जा रही है।

➡ दौरान विवेचना मुकदमा उपरोक्त में अभियुक्तों 1- सुगन्ध कुमार पुत्र चन्द्रजीत राम निवासी मोलनापुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष, 2- लालू कुमार पुत्र आदया प्रसाद हालमुकाम मोलनापुर थाना जहानागंज आजमगढ़ मूल निवासी डिलिया थाना मुबारकपुर आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष, 3- आकाश कुमार पुत्र राम नवल राम निवासी मोलनापुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष, 4- हरिश्चन्द्र उर्फ गोलू पुत्र रविन्दर राम निवासी मोलनापूर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष का नाम प्रकाश में आया।

गिरफ्तारी का विवरण

आज दिनाँक 02.08.2024 को उ0नि0 ओमप्रकाश यादव व उ0नि0 सच्चिदानन्द यादव मय हमराह को सूचना मिली कि मुकदमा उपरोक्त में प्रकाश में आये अभियुक्त लगड़ा बाबा के आगे नहर की पटरी पर मौजूद है । इस सूचना पर उ0नि0 ओमप्रकाश यादव व उ0नि0 सच्चिदानन्द यादव मय हमराह द्वारा मौके से अभियुक्तों 1- सुगन्ध कुमार पुत्र चन्द्रजीत राम निवासी मोलनापुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष, 2- लालू कुमार पुत्र आदया प्रसाद हालमुकाम मोलनापुर थाना जहानागंज आजमगढ़ मूल निवासी डिलिया थाना मुबारकपुर आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष, 3- आकाश कुमार पुत्र राम नवल राम निवासी मोलनापुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष, 4- हरिश्चन्द्र उर्फ गोलू पुत्र रविन्दर राम निवासी मोलनापूर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष को समय करीब 06.00 बजे गिरफ्तार किया गया जिसके पास से 03 बिद्युत मोटर बरामद हुआ। गिरफ्तार अभियुक्तों का चालान मा0 न्यायालय किया गया।

पंजीकृत अभियोग- मु0अ0सं0- 382/24 धारा 303(2) व 317(2) BNS थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़।

आपराधिक इतिहासः-सुगन्ध कुमार

1.मु0अ0सं0 01/2018 धारा 386,504,506 भादवि थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

2. मु0अ0सं0 04/2018 धारा 3/25 आर्म्स एक्ट थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

3. मु0अ0सं0 22/2018 धारा 504,506 भादवि थाना चिरैयाकोट जनपद मऊ

गिरफ्तार अभियुक्त-

1.सुगन्ध कुमार पुत्र चन्द्रजीत राम निवासी मोलनापुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 22 वर्ष।

2. लालू कुमार पुत्र आदया प्रसाद हालमुकाम मोलनापुर थाना जहानागंज आजमगढ़ मूल निवासी डिलिया थाना मुबारकपुर आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।

3. आकाश कुमार पुत्र राम नवल राम निवासी मोलनापुर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 21 वर्ष।

4.हरिश्चन्द्र उर्फ गोलू पुत्र रविन्दर राम निवासी मोलनापूर थाना जहानागंज जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 20 वर्ष।

बरामदगी- 03 विद्युत मोटर (चोरी के)

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम- उ0नि0 ओमप्रकाश यादव, उ0नि0 सच्चिदानन्द यादव, का0 प्रदीप यादव, का0 मनोज कुमार, का0 विनय कुमार पटेल थाना जहानागंज आजमगढ़।

थाना निजामाबाद

गोली मारकर हत्या के प्रयास का वांछित 25 हजार रूपयें का इनामिया अभियुक्त अवैध असलहा व कारतूस के साथ गिरफ्तार

पूर्व की घटना–

दिनांक 30.07.2024 को वादिनी मुकदमा तारा देवी के पति बालमीत यादव निवासी मोहनपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ द्वारा थाना स्थानीय पर शिकायत किया गया कि दिनांक 29.07.2024 की रात्रि में वादिनी के पति बालमीत यादव घर के बाहर चारपाई पर सो रहे थे, कि अचानक 03- 04 व्यक्ति दरवाजे पर आये तथा अभियुक्त आदर्श यादव उर्फ बिट्टू उर्फ हंटर पुत्र अवधेश यादव निवासी मोहनपुर ने पिस्टल निकाल कर जान से मारने की नियत से वादिनी के पति को गोली मार दिया। जब शोर गुल हुआ तो बिट्टू यादव व उसके साथी गाली गलौज करते हुए वादिनी को मारने पीटने लगे तथा जान से मारने की धमकी देते हुए मौके से फरार हो गये। जिसके सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 367/24 धारा 109,115(2),352,351(3) BNS बनाम 01 नामजद व 02 अज्ञात पंजीकृत कर विवेचना उ0नि0 रंजय कुमार सिंह द्वारा की जा रही है।

➡ फरार अभियुक्त आदर्श यादव उर्फ बिट्टू उर्फ हंटर पुत्र अवधेश यादव निवासी मोहनपुर की गिरफ्तारी हेतु पुलिस अधीक्षक आजमगढ़ द्वारा दिनांक 01.08.2024 को 25 हजार रूपये का इनाम घोषित किया गया।

गिरफ्तारी का विवरण-

आज दिनांक 02.08.2024 की रात्रि में थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द यादव मय हमराह व SI रजंय कुमार सिंह तथा SI सुधीर पाण्डेय मय हमराह को एस.टी.एफ. टीम मय मुखबीर द्वारा सूचना दी गयी कि मोहनपुर गोली मारकर हत्या का प्रयास के प्रकरण में वांछित अभियुक्त आर्दश यादव अपनी माँ घर जाने वाला है। इस सूचना पर थानाध्यक्ष सच्चिदानन्द यादव मय हमराह व SI रजंय कुमार सिंह तथा SI सुधीर पाण्डेय मय हमराह को एस.टी.एफ. टीम द्वारा अभियुक्त आदर्श यादव उर्फ बिट्टू हन्टर पुत्र अवधेश यादव निवासी मोहनपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़ उम्र करीब 19 वर्ष को असनी पुलिया से 01 तमंचा व 01 जिन्दा कारतुस व 10 रूपये के साथ समय करीब 02.30 बजे गिरफ्तार कर चालान मा0 न्यायालय किया गया।

गिरफ्तार अभियुक्त-

1- आदर्श यादव उर्फ बिट्टू उर्फ हंटर पुत्र अवधेश यादव निवासी मोहनपुर थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ उम्र करीब 19 वर्ष।

बरामदगी-

1-01 देशी तमंचा, 01 जिन्दा कारतुस .315 बोर (घटना में प्रयुक्त)

पूछताछ का विवरण– गिरफ्तार अभियुक्त ने बताया कि घायल बलिमत यादव ने अभियुक्त की मां टिप्पणी की थी जिसके कारण अभियुक्त ने अपने साथियों के साथ मिलकर उसे गोली मारी गयी।

पंजीकृत अभियोग-

1- मु0अ0सं0- 367/24 धारा 109,115(2),352, 351(3),61(2)BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद, आजमगढ़।

आपराधिक इतिहास-

1. मु0अ0स0 367/24 धारा 109,115(2) ,352, 351(3) BNS व 3/25 आर्म्स एक्ट थाना निजामाबाद, आजमगढ
2. मु0अ0स0 189/24 धारा 323,411,504,34 IPC थाना निजामाबाद, आजमगढ
3. मु0अ0स0 204/24 धारा 354/504/506 भादवि व 7/8 पाक्सो एक्ट थाना निजामाबाद, आजमगढ

गिरफ्तार करने वाली पुलिस टीम–

1- SO निजामाबाद सच्चिदानन्द यादव, SI रजंय कुमार सिंह, SI सुधीर पाण्डेय, हे0का0 पिन्टु कुमार, का0 सुमित सिंह, का0विक्रान्त विश्वकर्मा, म0आ0 आरती तिवारी, का0 धर्मवीर, का0 अमित यादव थाना निजामाबाद जनपद आजमगढ़।

एस0टी0एफ0टीम- 1. हे0का0 प्रभाकर पाण्डेय, 2. हे0का0 प्रशांन्त सिंह, 3. हे0का0 गौरव सिंह व 4. आ0चा0 अफजाल।

प्रेस-विज्ञप्ति

"ऑपरेशन कनविक्शन" अभियान के तहत जनपदीय पुलिस की गुणवत्तापूर्ण विवेचना, मॉनिटरिंग सेल व अभियोजन द्वारा की गयी प्रभावी पैरवी के फलस्वरूप मा0 न्यायालय द्वारा दोषी करार देते हुए 01 आरोपी अभियुक्त को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 20 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया।

थाना बिलरियागंजः किशोरी के साथ दुष्कर्म करने के एक आरोपी अभियुक्त अब्दुल कय्यूम पुत्र अब्दुल रज्जाक को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 20 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।

➡ दिनांक-30.04.2016 को वादिनी मुकदमा थाना बिलरियागंज आजमगढ़ ने थाना बिलरियागंज पर लिखित तहरीर दी थी कि विपक्षी अब्दुल कय्यूम पुत्र अब्दुल रज्जाक नि0 देवाबिन्दवल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ द्वारा वादिनी की नाबालिक पुत्री के साथ दुष्कर्म किया गया था, के सम्बन्ध में थाना स्थानीय पर मु0अ0सं0- 76/2016 धारा 376, 323,504,506 भादवि व 3/4 पाक्सो एक्ट बनाम अभियुक्त अब्दुल कय्यूम पुत्र अब्दुल रज्जाक उपरोक्त पंजीकृत किया गया था।

➡ उपरोक्त अभियोग में अभियुक्त को गिरफ्तार कर आरोप पत्र मा0 न्यायालय में दाखिल किया गया।

➡मुकदमा उपरोक्त में कुल 06 गवाह परिक्षित हुए है।

➡ जिसके क्रम में आज दिनांक- 02.08.2024 को मा0 न्यायालय स्पेशल पाक्सों कोर्ट आजमगढ़ द्वारा मुकदमा उपरोक्त में दोषसिद्ध पाते हुए अभियुक्त अब्दुल कय्यूम पुत्र अब्दुल रज्जाक नि0 देवाबिन्दवल थाना बिलरियागंज जनपद आजमगढ़ को 20 वर्ष के कठोर कारावास की सजा एवं 20 हजार रूपये अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है।